न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध अपील संख्या 35/2021

अपीलांट्स –	*बनाम*	रेस्पोडेंट –
1. गोपालदास पुत्र बंशीधर 2. श्रीमती पप्पूदेवी पत्नी गोपालदास जाति देशान्तरी निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर		श्रीमती नेनू देवी पत्नी बंशीधर जाति देशान्तरी निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

विविध अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर बमुकदमा 02/2021 दिनांक 09.09.2021

उपस्थिति :–
1. श्री हेमेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 21.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट असहाय वरिष्ठ नागरिक श्रीमती नेनू देवी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायलान (अपीलांट्स) उसके पुत्र व पुत्रवधु हमेशा मुझे व मेरे बुजुर्ग पति के साथ मारपीट करते हैं, खाना–पीना नहीं देते हैं, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। प्रार्थीनी जिस मकान में परिवार सहित निवास करती है उसके पति के नाम से खरीदशुदा एवं कब्जाशुदा है, जिसमें से गैर सायलान (अपीलांट्स) उसके पुत्र व पुत्रवधु मारपीट कर घर से बेदखल करना चाहते हैं व मकान हड़पना चाहते हैं। इसलिए पुत्र गोपाल व पुत्रवधु पप्पूदेवी से सुरक्षा व संरक्षण दिलाने क[illegible] कार्यवाही कराने की कृपा करावें। इस पर भरण–पो[illegible] बाड़मेर द्वारा गैर सायलान (अपीलांट्स) के विरूद्ध माता–[illegible] एवं वरिष्ठ नाग[illegible] का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 200[illegible] के तहत प्रकरण दर्[illegible] गैर सायलान (अपीलांट्स) को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:13:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उभय पक्ष साक्ष्य–सबूतों पर सुनवाई उपरान्त अधीनस्थ भरण–पोषण प्राधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2021 एवं 09.09.2021 गैर सायलान (अपीलांट्स) के विरूद्ध पारित किये गये। अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेशों से व्यथित होकर हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 16 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेंट जरिये नोटिस तलब किये एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली मंगवाई जाकर अवलोकन किया।

3. अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2021 में अपीलांट्स को मकान से बेदखल करने का दिया गया आदेश विधिविरूद्ध एवं एकपक्षीय है। प्रकरण में मूल आदेश 17.07.2021 से 6 माह की अवधि में मकान खाली करने का आदेश दिया गया था जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है तथा आदेश प्रभावी है। इस आदेश के प्रभाव में रहते हुए नये सिरे से किसी प्रकार के निर्देश जारी करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार आवश्यक एवं बाध्यकारी है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2021 निरस्त योग्य है। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि तथाकथित मकान में रेस्पोडेंट नेनूदेवी का कोई अधिकार नहीं है और भरण–पोषण अधिनियम 2007 में भी यह कहीं प्राविधित नहीं है कि किसी सम्पत्ति में किसी व्यक्ति का हक होते हुए उसे बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये बेदखल किया जाए। रेस्पोडेंट श्रीमती नेनूदेवी के पति बंशीधर को सेवानिवृति के विपरीत 30,000 रूपये माहवारी पेंशन मिलती हैं जिससे वे अपना भरण–पोषण करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2021 निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

4. रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स पति–पत्नी झगड़ालू हैं तथा रेस्पोडेंट व उसके पति के साथ मारपीट करते रहते हैं जिसके लिए कई बार पुलिस थाना व प्रशासनिक अधिकारियों को परिवाद प्रस्तुत किये गये। अधिकारियों की ओर से बार–बार समझाईश के उपरान्त भी अपीलांट्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तथा येनकेन प्रकारेण रेस्पोडेट के कब्जाशुदा एवं खरीदशुदा मकान से बेदखल करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:13:13 IST
Reason: SelfAttested

Low
जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

उतारू हैं। अधिनियम 2007 के अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ जनों के भरण–पोषण के साथ–साथ संरक्षण भी करता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में सम्पूर्ण जांच एवं साक्ष्य सबूतों के विश्लेष्ण उपरान्त अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ–साथ विधिक प्रावधानों के तहत श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों को अद्योपान्त अध्ययन किया जिससे पाया जाता है कि रेस्पोडेंट असहाय वरिष्ठ नागरिक श्रीमती नेनू देवी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायलान (अपीलांट्स) उसके पुत्र व पुत्रवधु हमेशा मुझे व मेरे बुजुर्ग पति के साथ मारपीट करते हैं, खाना–पीना नहीं देते हैं, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। प्रार्थीनी जिस मकान में परिवार सहित निवास करती है उसके पति के नाम से खरीदशुदा एवं कब्जाशुदा है, जिसमें से गैर सायलान (अपीलांट्स) उसके पुत्र व पुत्रवधु मारपीट कर घर से बेदखल करना चाहते हैं व मकान हड़पना चाहते हैं। इसलिए पुत्र गोपाल व पुत्रवधु पप्पूदेवी से सुरक्षा व संरक्षण दिलाने की कानूनी कार्यवाही कराने की कृपा करावें। इस पर भरण–पोषण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा गैर सायलान (अपीलांट्स) के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण दर्ज कर गैर सायलान (अपीलांट्स) को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उभय पक्ष साक्ष्य–सबूतों पर सुनवाई उपरान्त अधीनस्थ भरण–पोषण प्राधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2021 एवं 09.09.2021 गैर सायलान (अपीलांट्स) के विरूद्ध पारित किये गये। इस आदेश दिनांक 09.09.2021 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील धारा 16 के तहत इस अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 16 का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है–

Section-16. Appeals

(1) Any senior citizen or a parent, as the case may be, aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the Appellate Tribunal:

Provided that on appeal, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such maintenance order shall continue to pay to such parent the amount so ordered, in the manner directed by the Appellate Tribunal:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:13:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Provided further that the Appellate Tribunal may, entertain the appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

इस प्रकार अधिनियम में विवक्त रूप से अपील लाने का अधिकार केवल माता–पिता एवं वरिष्ठ जन को ही प्रदत्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट माता के परिवाद पर अपीलांट्स के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है, ऐसे में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील अधिनियम के प्रावधानों के तहत श्रवण योग्य ही नहीं है। लिहाजा प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ–साथ विधिक प्रावधानों के तहत श्रवण योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील पोषणीय एवं श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:13:13 IST
Reason: SelfAttested